

उत्तराखण्ड की प्रमुख जनजातियाँ

डॉ० उमा काण्डपाल
डॉ० नीरज रुवाली

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE/UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

सामान्य विवरण

भारत के संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किये जाने का प्राविधान है। इन्हीं प्राविधानों के अधीन विभिन्न समुदायों को अनुसूचित किया जाता है। इसके अनुच्छेद 341 तथा 342 में क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विनिर्दिष्ट किए जाने के प्राविधान हैं। अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति) का प्राविधान इस प्रकार है : राष्ट्रपति के सम्बन्ध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों (Tribes or Tribal Communities) के भागों या उनमें से ग्रुपों (Part of Groups within Tribes or Tribal) को विनिर्दिष्ट (Specify) कर सकेगा, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए (यथास्थिति) उस राज्य (या संघ क्षेत्र) के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति समझा जायेगा।

सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार:—

“जनजाति परिवार, समूहों में एक ही भू-भाग में निवास करते हैं। एक ही भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय आदि मामलों में विभिन्न प्रकार के निशेधों को मानते हैं। पारस्परिक व्यवहार में भी यह विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। यह

कष्ट सहिष्णु मानव-समूह परम्परागत संस्कृति के पोशक है। राज्य में इस प्रावधान के अधीन भोटिया, मारछा, बोक्सा, जौनसारी, जाड, थारू तथा राजी जातियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

भोटिया

ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अलकनंदा उपत्यका में प्राचीनकाल में पूर्व दि 11 से लघु हिमालय की प ुचारक भिल्ल-किरात जाति ने हिमालय प्रदे 1 में प्रवे 1 किया। कालांतर में तिब्बत के तिब्बती एवं ख 1 दास-दासियों का रक्त भी इनमें मिलता गया। अनुमानतः दसवीं भाताब्दी से इस किरात जाति के लिए भोटा भोटांत भाब्दों का प्रयोग होने लगा। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में भोटांतिको की भूमिका प्र ंसनीय रही है। प्राचीनकाल में तिब्बत से स्फटिक, पुखराज, स्वर्णमक्षिका, लैपिस लज्जुली एवं अन्य बहुमूल्य पाशण रत्नों का आयात इन्ही भोटांतिको द्वारा नीति-माणा तथा जहोर, दारमा, व्यास आदि के दरों द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत वे तिब्बती व्यापारियों को अनाज, सूती वस्त्र, भवेत अभ्रक, केसर, त्रिफला, कस्तूरी, ि ालाजीत, भोजपत्र, ग्रंथपर्णिका, प ुओं की खालें तथा भोंग से निर्मित वस्तुएं निर्यात करते थे। भोटिया जनजाति की निम्नवत् उपजातियाँ पाई जाती है। 1- मारछा, 2- तोल्छा, 3-जोहारी, 4- भौका, 5- दरमिया, 6- चौंदासी, 7- व्यासी, 8- जाड, 9-जेठरा तथा 10- छापड़ा (बखरिया)। भागीरथी घाटी में रहने वाली जनजाति 'जाड' भी मूलरूप से भोटिया है, जिसका विवरण अगले पृष्ठों में दिया गया है। भोटांतिक ऐसे प्रवजनकारी लोग हैं जो ग्रीष्म में ऊँचे स्थानों में स्थित अपने मूल स्थानों में रहते हैं तथा भीतर्द्धतु में अपने प ुओं सहित निचली घाटियों में स्थित गाँवों में लौट आते हैं। इस क्षेत्र में समृद्ध चारागाहों के कारण यहाँ के लोगों में प ुपालन और ऊन उद्योग को अपनी आजीविका उपार्जन का प्रमुख साधन बनाया है। तिब्बत की समीपता के कारण व्यापार इनके जीवन का अंग रहा है।

संपूर्ण सीमान्त उपत्यका के भोटांतिक प्रदेश में, निरन्तर हिमपात ने इस क्षेत्र को नेगी चट्टानों से युक्त बना दिया गया है। भीतकालीन हिमपात के पचास अप्रैल माह के मध्य तक यहाँ ऊंची 'पयारी' पर कोमल एवं पौष्टिक बुग्यालों, बूंगी, सुनबूगी, मामला, भमचू एवं फुरग घासों उग जाती हैं।

बस्तियाँ:—विष्णु गंगा घाटी में भोटांतिकों के तीन गाँव माणा (अंतिम भारतीय गाँव) वनाकुली एवं औध हैं। 'मारछा' लोगों के तीन गाँव, जोहारी भोटांतिकों के एक से अधिक गाँव तथा तोलछा भोटांतिकों के 20 से अधिक गाँव हैं। इस घाटी में मलारी मारछों का, एवं 'नीति' भोटांतिकों का अंतिम गाँव है। भागीरथी घाटी में नेलंग तथा जाडंग गाँवों में जाड भोटांतिक परिवार रहते हैं।

मुखाकृति एवं वेशभूषा:—भोटांतिकों के चौड़े चपटे कान, पिचकी नाक, पिचकी नाक, गोल आँखें, मध्यम आकर, गठीला बदन, पीतवर्णी मुखकृति एवं उस पर उभरी हुई गालों का अस्थिर इनका भारीरक संगठन हैं। पुरुशों के घुटनों तक पहुँचने वाला डनी अंगरखा, रंगा, कहलाता है। चूड़ीदार ऊनी पायजामों को 'गैजू' या 'खगचसी' कहते हैं। पुरुशों के उनी जतू 'बाँखे' कहलाते हैं। स्त्रियों के परिधान में 'च्युमाला', 'च्युकला', 'च्युत्ती', 'ब्यूज्य' तथा 'कम्बयै' मुख्य हैं। 'च्यु' आधी बाहों का परिधान है। 'च्युमाला' के साथ पहना जाने वाला टोपीनुमा वस्त्र 'च्युकला' है। स्त्रियाँ सफेद लट्ठे के लम्बे टुकड़े 'ज्यूज्य' से कमर बाँधती हैं।

भोटांतिक बोली में आभूषणों को 'साली-पुली' कहते हैं। स्त्रियों के आभूषणों में 'बलडंग' (चांदी के सिक्कों को पिरोकर बनाई गई माला) खोंगली (गले का आभूषण) 'मंसाली' (लाल मनका की माला) गले के मुख्य आभूषण हैं। सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में बीरावाली छांकरी वाली पतेली बाली प्रमुख है। वे लवक्षेप (अंगूठी) कड़ा भी पहनती हैं।

आवास:—महाहिमालय के इन क्षेत्रों में बसने योग्य भूमि का अभाव है, फलतः भवन निर्माण के समय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप मकानों के दरवाजे छोटे रखे

जाते हैं और उनमें लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता है। चल संपत्ति के रूप में हल्के बर्तन (एल्यूमीनियम तथा पीतल), ऊन के गोले, खेती में प्रयुक्त होने वाले पुराने ढंग के उपकरण, रिंगाल से बने 'सोल्टा', जबरा और कंडियाँ होती हैं।

भोजन:—भोजन में 'छाकू' (भात) 'छामा' (दाल साग) तथा 'कुटो' (रोटी) प्रमुख हैं रोटिया गेहूँ के आटे की (कनकु कुटो) बनाई जाती है। कुछ जंगली वनस्पतियाँ—यकन, प्यकन, मलिनकन, आदि को भी सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मांस भोटांतिकी के भोजन का प्रमुख अंग हैं मांस को सुखाकर काफी समय बाद भोजन के रूप में काम में लाया जाता है।

भोटांतिकी के पेयों में 'ज्या' प्रमुख हैं। लकड़ी के गहरे बर्तन 'ढोम' में उबला पानी, नमक, दूध, मक्खन, चायपत्ती या एक वृक्ष की छाल को मिलाकर काफी देर तक मथा जाता है। तत्पश्चात् उसे काठ या चांदी मढ़ी प्यालियों में दिया जाता है। भाराब को 'च्यकती' छंग कहा जाता है। इसे समस्त संस्कारों, उत्सवों तथा धार्मिक कृत्यों में एक पवित्र पेय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जौ एवं गेहूँ अथवा मंडुवा का सत्तू चाय के साथ तथा फाफर के आटे का गुंदका आचार या चटनी के साथ खाया जाता है। आटे में नमक मिलाकर एवं घोलकर वें 'सिल्दू' पीते हैं। फाफर के पत्तों का उबालकर मंडुवा के बाड़ी (बिना गुड़ का हलुआ) के साथ खाते हैं। 'पूली' (डोसे की तरह रोटी थाली के आकार की रोटी), पतौड़ा (पैतुड़ा) भी भोटिया समुदाय का लोकप्रिय भोजन है।

सामाजिक जीवन:—

भूमौ: भौकाओं में एक संस्कार के अनुसार जब नवजात शिशु तीन माह का हो जाता है तो उसे नये वस्त्र पहनाए जाते हैं बिरादी का कोई बुजुर्ग या ऐसा बालक जिसके भाई—बहिन हो, शिशु का अपनी पीठ पर एक चादर के सहारे बांधकर घर के मुख्यद्वार से नौ बार आता—जाता है।

प्रस्यावोमों: यह संस्कार बालक के तीसरे पाँचवें या सातवें वर्ष में सम्पन्न किया जाता है। इस अवसर पर गाँव के लोगों तथा रितादारों को आमंत्रित किया जाता है। तीन, पाँच, सात या नौ व्यक्ति कैंचियां लेकर बच्चे के कैं उतारते हैं।

बुढ़ानी : भोटांतिकों में बालक के बीस वर्ष की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व व्यास पट्टी में बुढ़ानी तथा चौदास में सभा कोमों के रूप में उत्सव मनाते हैं।

उत्तरकापी जनपद में भैरोघाटी से आगे नेलंग, जाडंग तथा अलकनंदा घाटी में तपोवन, हनुमान चट्टी के क्षेत्रों की नीरवता एवं दुर्गमता मानव को अत्यधिक आस्थावान, कष्टसहिष्णु एवं साहसी बना देती है। इनके देवी-देवताओं में अधिकांश प्रकृति की महान भाक्तियाँ हैं। सीमान्त क्षेत्रों में निवासी कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत एवं नंदादेवी शिखरों की देवी-देवताओं के रूप में पूजा करते हैं एवं ऊँचे पर्वतों पर घंटाघर्ण (घडियाल) देवता की स्थापना करते हैं। जो कि उनके 'पयारों' में चरने वाले पशुओं की जंगली जानवरों से रक्षा करता है।

घंटाकर्ण के अतिरिक्त 'सिंधवा' एवं 'विधवा' की पशु रक्षकों के रूप में एवं 'सांई' देवता की खोई पशुओं का पता लगाने हेतु अराधना की जाती है। वे प्रत्येक गाँव में अपने आराध्य देवता 'भूग्याल' की कल्पना करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त होने के कारण इनसे बचने के लिये वे भेड़ों तथा बकरों की बली देते हैं। विपत्ति में तिब्बती देवी-देवताओं, 'फैला' तथा 'धुरमा' की पूजा करते हैं।

विवाह प्रथायें:—पूर्व काल में एकाकी जीवन यापन के कारण भोटांतिकों में 'रडवंग' की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार युवा ग्रहों में अविवाहित युवक एवं युवकियाँ रात्रि में नृत्य एवं गीत के साथ परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। यही इनमें परस्पर प्रेम सम्बन्ध स्थापित होने पर माता पिता द्वारा उनके विवाह सुनिश्चित कर लिये जाते थे। मारछा तोरछा तथा जोहारी समाज के पुत्र पुत्रियों का विवाह परिवार के सदस्यों द्वारा तय किये जाते हैं। जोहारी समाज में अंचल विवाह एवं सरोल विवाह होते हैं।

विवाह 'तत्सत्' तथा 'दमोला' प्रथाओं द्वारा किया जाता है। 'तत्सत्' विवाह में वर, बारातियों के साथ कन्यापक्ष के यहाँ जाता है, किंतु 'दामोला' प्रथा में बाराती वर के नाम पर ही वधू को ले जाते हैं। वर पक्ष द्वारा 'कन्या- जुल्क' के रूप में कुछ धनराशि वधू पक्ष को देनी पड़ती है। भावज-देवर विवाह, पुनर्विवाह, गन्धर्व-विवाह अब भी कहीं-कहीं प्रचलित है।

व्यापार:—तिब्बत में हुणिया व्यापारियों में भोटांतिकों का व्यापार आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। इस व्यापार से सम्बन्धित अनेक प्रथाएँ प्रचलित थी। प्रत्येक भोटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था। जिसे 'मितुर' कहा जाता था। इस मित्रता को स्थापित करने के लिये एक रस्म 'सुजली मुजली' आवस्यक थी, जिसमें एक ही प्याले से पहले तिब्बती मध्यस्थ 'छंग' मंदिरा की घूंट लेता था और फिर भोटांतिक व्यापारी भी उसी प्याले से जूठी भाराब पीकर तिब्बती मध्यस्थ को एक सफेद रूमाल भेंट देता था। इसके पश्चात् व्यापार का भार्तानामा लिखा जाता था। यह अभिलेख 'गमग्या' कहलाता था। इसके अनुसार एक पत्थर के दो टुकड़े करके एक भोटांतिक व्यापारी के पास तथा दूसरा तिब्बती मितुर के पास व्यापार समझौते के प्रतीक स्वरूप रहता था।

सन् 1962 ई0 में तिब्बत पर चीनी अधिपत्य हो जाने के कारण भार्ताब्दियों से प्रचलित तिब्बत के साथ भोटांतिकों का व्यापार पूर्णतया समाप्त हो गया जो भोटांतिकों के आर्थिक जीवन के ऊपर बहुत बड़ा आघात था, किन्तु यह जनजाति अब केवल हिमालय के सिखरों और घाटियों तक ही सीमित नहीं रही, इनमें पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर निरन्तर विकास की ओर अग्रसर हैं तथा केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में कार्यरत हैं।

बोक्सा

- बोक्सा जनजाति के लोग जनपद नैनीताल के बाजपुर, गदरपुर, का पीपुर, रामनगर जनपद गढवाल के कोटद्वारा भाभर क्षेत्र तथा जनपद देहरादून के

डोईवाला व सहसपुर विकासखण्डों में लगभग 173 गाँव में रहते हैं। इनकी भारििक बनावट एवं वि ेशताएं मिश्रित प्रजातीय उत्पत्ति को इंगित करती है।

- यह अपने को पंवर वंि ाय राजपूत मानते हैं। अंग्रेज अधिकारी इलियट ने लिखा है कि बोक्सा समुदाय के लोग भारदा नदी के किनारे बनबसा आकर बसे! एक युद्ध में कुमाऊँ के राजा की सहायता करने पर इनके पूर्वज उद्यजीत को जागीर प्राप्त हुई।
- बोक्सा अपनी जनजाति से बाहर या अन्य दूसरी जनजाति से विवाह नहीं करते। विवाह प्रायः युवक—युवती के परिपक्व हो जाने की स्थिति में सम्पन्न होते हैं।
- बोक्सा अपने को देवी पूजक मानते हैं। प्रत्येक बोक्सा गाँव में ग्राम प्रधान के घर के सामने 'ग्राम खेड़ी देवी' जिसे भवानी भी कहा जाता है, का मन्दिर होता है। इनकी मान्यता है कि 'ग्राम खेड़ी देवी' सम्पूर्ण ग्रामवासियों, उनकी फसल तथा प ुधन की रक्षा करती है।
- बोक्सा जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। यद्यपि वे कृषि कार्य भी करते हैं, किंतु सीमित कृषि क्षेत्र एवं अत्यन्त उत्पादन के कारण उन्हें बनियों से उधार भी में लेना पड़ता है, जिनके द्वारा उनका भोशण किया जाता है। पंचायत में इनकी बिरादी में पाँच सदस्यों के अलावा एक मुसिफ तथा एक दरोगा होता है। दरोगा के साथ दो सिपाही भी होते हैं जो बिरादी के नियमों एवं आदे ों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में एक समिति होती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। इस समिति का कार्य पारिवारिक मतभेदों में निर्णय देना होता है। कुछ स्थानों पर इस प्रणाली के स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रणाली के रूप में ग्रामसभा, न्याय—पंचायत के आने पर बिरादरी पंचायत अपना अस्तित्व खो चुकी है।

बोक्सा लोग हिंदू देवी-देवताओं, यथा-विश्व एवं दुर्गा तथा अपने स्थानीय देवताओं, यथा-ज्वाल्पादेवी तथा हुल्कादेवी की उपासना करते हैं। ये कल्पित आत्मा के रूप में बुज्जा की पूजा करते हैं। यह मृत संबंधियों का दाह संस्कार करते हैं, पूर्वकाल में अप्राकृतिक रूप से मृत भारीरों को दफनाने की भी प्रथा रही है।

जौनसारी

जौनसारी गढ़वाल मंडल की मुख्य जनजाति है, इस समुदाय के लग देहरादून जनपद की चकराता तथा विकासनगर तहसीलों के 39 पट्टियों और 358 गाँवों में निवास करते हैं, यह लोग पाण्डवों को अपना पूर्वज मानते हैं। इण्डो आर्यन परिवार की यह जनजाति अपनी विशिष्ट वेदभूशा, परम्पराओं, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों एवं सृष्टि अर्थव्यवस्था के लिए जानी जाती है। इस जनजाति को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है। प्रथमतः वह वर्ग है, जिसमें ब्राह्मण एवं राजपूत हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न, भूमि के मालिक एवं कृषक हैं। दूसरा वर्ग मध्य जाति वर्ग है। इनमें लोहार, सुनार, बाजगी, नाथ तथा जोगी हैं। यह वर्ग अपनी परम्परागत कलाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता एवं सम्पन्नता की ओर अग्रसर है। तीसरा वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, किन्तु वर्तमान में सामाजिक जागृति एवं अपने कौशल द्वारा स्थानीय समाज में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान रखता है।

जौनसारी विशिष्ट जनजातीय परम्परा में विवाह से पूर्व कन्या 'ध्यान्ती' तथा विवाहोपरान्त 'स्यान्ती' कहलाती है। समाज में व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने के लिए इनकी समिति 'खुमरी' होती है। इसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होता है। आवयकता पड़ने पर समिति की बैठक गाँव के प्रमुख 'स्याणा' द्वारा बुलाई जाती है। गाँवों के झगड़े निपटाने हेतु 'खात खुमरी' की व्यवस्था होती है, जो स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली की परिचायक है। जौनसारी जनजातियाँ अपनी आवयकताओं

की पूर्ति के लिए लगभग आत्मनिर्भर होती हैं। कृषि, ऊन-उद्योग, रस्सियाँ बनाना, टोकरियाँ बनाना और बकरे की खाल के थैले बनाना उनके प्रमुख कार्य हैं।

पूर्वकाल में कतिपय जौनसारी जनजातियों में बहुपति प्रथा का प्रचलन था, जो अब अतीत का विशय बन चुकी है। वर्तमान में बेवीकी, बोईदोदीकी और बाजदिया तीन प्रकार के प्रचलित विवाह हैं। बेवाकी अत्यन्त साधारण पद्धति का विवाह है। 'बोईदोदी' विवाह में सगे सम्बन्धियों तथा परिचितों को आमंत्रित किया जाता है। किन्तु 'बाजदिया' उच्च कोटि का भान भौकत का विवाह है, जिसमें कन्यापक्ष से वर से घर बाजे-गाजे के साथ बारात जाती है। बारातियों की संख्या सैकड़ों में होती है। पूर्व में दहेज में गाय दी जाती थी। गाय के सींग चांदी से मढ़े जाते थे। इस क्षेत्र के लोगों की वे शोभा-भूषण आकर्षक होती है। पुरुष चूड़ीदार पायजामा, बंद गले का कोट तथा ऊनी या सूती टोपी पहनते हैं। महिला, लंहगा, जिसे घाघरा कहा जाता है तथा कुर्ता पहनती हैं तथा सिर पर ढाँट (एक बड़ा रूमाल) बाँधती हैं। भीत ऋतु में ऊनी कोट, बकरी एवं भेड़ के ऊन से बनी टोपी (डिगुवा), ऊन का पायजामा (झंगोली), ऊनाकार (चोड़ी) पहना जाता है। स्थानीय भाषा में बासकट को 'सलका' या 'ठलका' तथा कमीज को 'झगा' कहते हैं। ऊन के रंग-बिरंगे जूते भी तैयार किये जाते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा ऊन के रंगीन धागों से बुना जाता है। जिसे 'आल' कहते हैं।

इस जनजाति में धार्मिक आस्था, ईश्वर एवं स्थानीय देवी-देवताओं का बाहुल्य है। ये महासू, वाणिक, बोठा, पवासी एवं चोल्दा को अपना कुलदेव एवं संरक्षक मानते हैं।

जौनसारी अनेकानेक त्योहार मनाते हैं एवं इन अवसरों पर विविध प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करते हैं—

यहाँ के मुख्य लोकनृत्य जंगबाजी , षैन्ता, रासो, हारूल परात-नृत्य, सामूहिक मंडवणा, तांदी, देवताओं की गाथाएं, मरोज आदि हैं। जौनसारी जनजाति का प्रमुख देवता 'महासू' है। इस जनजाति के मुख्य त्यौहार एवं मेले निम्नांकित हैं:-

बिस्सू:- बिस्सू , बैसाखी से चार दिन पर्यन्त तक मनाया जाता है। इस अवसर पर सफेद मिट्टी से घर तथा गौ ालाओं की पुताई की जाती है। इस त्योहार पर लोक-नृत्यों व गीतों के अतिरिक्त जंगबाजी नृत्य एवं (ठोउड़ा) का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहता है।

जागड़ा :- भाद्रपद महीने में महासू देवता की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। रात्रि जागरण में देवता के गीत गाकर पूजा की जाती है। जागड़ा , हनोल में विशेष उत्साह से मनाया जाता है। टोंस नदी में स्नान कर चांदी के डोराया (देवडोली) में महासू देवता को बिठाकर मन्दिर से बाहर लाया जाता है।

नुणार्ड:- यह पर्व सावन माह में विशेष रूप से उन स्थानों में मनाया जाता है जहाँ भेड़पालन का कार्य होता है। इस अवसर पर मीठे आटे का मोटा रोट (रोटी) रस्स के साथ काट कर प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है। इसी दिन भेड़ों की ऊन निकालने का कार्य आरम्भ हो जाता है।

दीपावली:- जौनसार में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा दीपावली ठीक एक माह बाद मनाई जाती है। अमावस्या की रात्रि को गाँव के सभी नर-नारी आंगन में एकत्र होकर 'होला' (जलती हुई लकड़ी का पुंज) जलाकर पाण्डवों तथा महासू देवता के गीत गाते हैं। पुरुष 'होला' लेकर किसी खेत में जाकर 'भयलो' खेलते हैं। दूसरे दिन गाँव के स्याणा के कानों में हरियाली लगाकर आंगन में हरियाली गीत गाते हैं। इस दिन को 'भिरुड़ी' कहते हैं। पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं।

माघ त्यौहार :- यह एक माह तक चलने वाला त्यौहार है। इसमें प्रत्येक घर में सभी रिश्तेदार आकर सामूहिक भोज करते हैं तथा नृत्य व गायन के साथ खुशियाँ मनाई जाती हैं।

(मौण) मउणः— दो तरह के होते हैं। एक मउण वह होता है जिसमें कुछ गाँव मिलकर तिमूर (टिमरू) के छिलके का पाउडर बनाकर नदी में डालते हैं, जिससे मछलियां बेहो हो जाती हैं। सभी लोग उन मछलियों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह बड़ा रोमांचकारी दृश्य होता है। दूसरे प्रकार के 'मउण' में कई 'खते' (पट्टियाँ) मिलकर एक स्थान पर एकत्र होती हैं। पूर्वकाल में परम्परागत हथियारों से युक्त गाजे-बाजे के साथ उनमें भाक्ति परीक्षण हुआ करता था।

यहाँ होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, हरियाली तीज, करवाचौथ जैसे त्यौहार प्रायः नहीं मनाए जाते हैं। दशहरा 'पांचों' के रूप में तथा जनमाष्टमी 'अठोई' के रूप में मनाई जाती है।

अन्य जनजातीय समाज की तरह जौनसार में भी बीमारी के कारण, उनके निदान तथा उपचार, परम्परागत रूप से झाड़-फूंक तथा तंत्र-मंत्रों पर आधारित हैं।

जाड

उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी की ऊपरी घाटी में रहने वाली सीमान्त क्षेत्र की जनजाति को 'जाड' कहा जाता है इसका मूल गाँव भारत-तिब्बत सीमावर्ती ग्राम जादुंग है। ये लोग अपने को राजा जनक के वंशज मानते हैं तथा मूल रूप में बौद्धधर्म के अनुयायी होते हैं।

वेशभूषाः— जाड जनजाति के पुरुष घुटनों से थोड़ा ऊँचा गर्म चोगा पहनते हैं, जिसे 'वपकन' कहा जाता है। घुटनों से नीचे ऊनी धारीदार एवं चूड़ीदार पाजामा पहनते हैं। सिर पर हिमाचली टोपी तथा पैरों में खाल से निर्मित जूता पहना जाता है, जिसे पैन्तुराण कहते हैं। जाड स्त्रियाँ पैरों तक (कौलक) लंबा चोगा पहनती हैं।

समाजः— इस जनजाति समाज में आधुनिकता का कम प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनमें विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पुत्रों के वयस्क हो जाने पर उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। पिता की संपत्ति में पुत्रों एवं पुत्रियों का

समान अधिकार होता है। इस जनजाति के सांस्कृतिक सम्बन्ध तिब्बत से रहे हैं। अतः आज भी इनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला 'लामा' ही कहा जाता है। वर्तमान समय में ये लोग बौद्ध संस्कृति के साथ-साथ हिंदू संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं।

संस्कृति :-इनमें कलात्मक अभिरुचि विशेष रूप से पाई जाती है। इनकी भवन निर्माण कला, चित्रकारी आदि के उत्कृष्ट नमूने इनके मूल ग्रामों—बगोरी, नेलंग आदि में देखे जा सकते हैं। जाड़ स्त्रियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह घरेलू उद्योग-धंधों और व्यापार में पुरुषों की तरह कार्य करती हैं। वे बहुत परिश्रमी होती हैं तथा ऊनी वस्त्र जैसे पट्टू, थुलमा, टूमकर, पंखी, चुटका, कंबल, फाँचा, आँगड़ा आदि अत्यंत कलात्मक ढंग से बनाती हैं। जाड़ जनजाति के वर्षभर में केवल दो ही त्योहार होते हैं। 'लौहसर' का त्योहार बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इसे इनके वर्ष का पहला दिन माना जाता है। इनका दूसरा प्रमुख त्योहार 'सूरगौन' है, जो भाद्र माह के बीसवें दिन से प्रारम्भ होता है। इनकी भाशा को 'रोम्बा' कहा जाता है। रोम्बा भाशा गढ़वाली भाशा की अपेक्षा तिब्बती भाशा से मिलती-जुलती हैं।

थारू

राज्य में नेपाल की सीमा से संलग्न क्षेत्र में तथा तराई-भाबर की लंबी संकरी पट्टी में थारू जनजाति निवास करती है। यही कुमाऊँ हिमालय की प्रमुख जनजाति तथा उत्तराखण्ड का दूसरा बड़ा जनजातिय समुदाय है। ये जनपद नैनीताल के खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, बनबसा आदि स्थानों में 141 गाँवों में निवास करते हैं। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में मानव शास्त्री इन्हें ऐसे मिश्रित प्रजातीय समूह का मानते हैं, जो भारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट हैं। इनके गोत्र या घराने को 'कुरी' कहते हैं। इनके प्रमुख कुरियाँ बड़वायक, बट्ठा, रावत, वृत्तियाँ, महतों और डहैत हैं। बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं।

थारू का अर्थ है ठहरे हुए। कठिन भौगोलिक वातावरण होने पर भी ये सदियों से इस क्षेत्र में विद्यमान हैं। इसलिए ये थारू कहलाते हैं।

अर्थव्यवस्था:— अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा जा सकता है:—

- (क) कुमाऊँ के तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक हैं।
- (ख) भारत-नेपाल के दक्षिण-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक व आखेटक हैं।
- (ग) दक्षिणी गढ़वाल के बोक्सा-थारू स्थायी कृषक व आखेटक हैं।

वेषभूषा:— थारू पुरुषों का परम्परागत वस्त्र लंगोटी है। वर्तमान में ये अगा, कुरता टोपी, साफा तथा घुटनों तक लंबी धोती पहनते हैं। स्त्रियाँ घुटनों तक लंबा लहंगा, रंगीन अंगिया व चोली तथा काली ओढ़नी पहनती हैं। वह आभूषणों व श्रृंगार की बहुत भौकीन होती हैं। पीतल, चाँदी व काँसे के आभूषण, हाथ, मुँह, बाँहों पर फूल-पत्ती तथा देवताओं के चित्रों के गोदने इन्हें बहुत पसंद हैं। पुरुष भी हाथ पर अपने नाम गुदवाते हैं। महिलायें हंसुली, चव्वत्री, अठत्री या चाँदी के रूपों की माला पहनती हैं।

भोजन:—थारू लोगों का मुख्य भोजन चावल है। विशेष पर्वों एवं उत्सवों पर चावल की भाराब का सेवन किया जाता है।

समाज:—थारू समाज के इष्टदेव 'पछावन' तथा खड्गाभूत है, कारोदेव, राकत, कलुवा जानवरों की रक्षा करने वाले देवता है। थारू समाज मातृसत्तात्मक है। इनके समाज में संयुक्त व एकाकी परिवार पाए जाते हैं। ये लोग स्वयं को राणाप्रताप के वंशज मानते हैं तथा पर्वों पर लोकनृत्यात्मक गीतों का आयोजन करते हैं। इनमें स्त्रियों को विशेष स्वतंत्रता प्राप्त है। इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। ये

भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, मिश्रित पहाड़ी, अवधी आदि बोलते हैं। ये लोग भांत स्वभाव, सरल सहृदय व ईमानदार होते हैं। होली के अवसर पर विशेष नृत्य खिचड़ी नाच लोकप्रिय है, इनके विवाह की चार रस्में होती हैं 1— अपना पराया, 2— बात कट्टी, 3— विवाह, 4— चाला आदि।

राजी (वनरावत)

राजी जनजाति मुख्यतः पिथौरागढ़ के कनालीछीना, डीडिहाट विकास क्षेत्र के चिपलथड़ा, माना गाँव, गौथा विखा, किमखोला, चौराणी, जमतड़ी तथा मनाकन्याल गाँवों में एवं धारचूला, नैनीताल तथा चंपावत जिलों में पाई जाती है। वह स्वयं को स्थानीय राजा जो 'रजवार' उपाधि से सम्मानित होता था, का वंशज होने का दावा करते हैं।

सामाजिक स्वरूप :—राजी जनजाति, जिन्हें वनरावत भी कहा जाता है, प्रायः कंदमूल फल और शिवाकार पर निर्भर रहते थे, किन्तु अब कृषि कार्य भी करने लगे हैं। ये देवी-देवताओं में नंदादेवी को मानते हैं तथा मलैनाथ, गणैनाथ, सैम, छुरमल तथा बाघनाथ के भी उपासक हैं। यह अत्यधिक अन्धविश्वासी, भीरु तथा संकोची होते हैं। कर्क संक्रांति का त्योहार विशेष हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये अपने आवास को रौत्यूड़ा/रौत्यो भी कहते हैं।

इनकी मातृभाषा मुण्डा है, तथापि इस जनजाति के लोग प्रायः कुमाऊँनी भाषा का ही अधिक प्रयोग करते हैं। पूर्वकाल में इनकी काष्ठशिल्प कला बड़ी प्रसिद्ध थी। लकड़ी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बेचकर अदृश्य विनिमय प्रथा के द्वारा बदले में अनाज, कपड़े तथा फल आदि इस प्रकार लेते थे कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को न देख सकें। विवाह, धार्मिक संस्कार के स्थान पर दो परिवारों का समझौता होता है। विवाह से पूर्व 'साँगजांगी' तथा 'पिन्टा' प्रथाएँ प्रचलित हैं।

राजी जनजाति में स्त्रियों को पर्दे में रखने, अपनी रसोई में किसी का प्रवेश न होने देने तथा प्रकृति पूजा की परम्परा है।

बनरौत भोजन के रूप में मंडुवा, मक्का, भट, मछली, कंदमूल, तरुड़, गींठा, सिन्ना (बिच्छू घास) को कोपलें प्रयोग करते हैं।

राठी

इन सभी जनजातियों के अतिरिक्त पौड़ी गढ़वाल के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र 'राठ' में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसे 'राठी' कहकर संबोधित किया जाता है। राठी स्वयं को इस क्षेत्र के मूल निवासी एवं पविल्या (क्षत्रिय) जनजाति के वंज मानते हैं। वे भूशा में पुरुष लंगोटी तथा भाँग के पौधे के रेणु से तैयार की गई 'त्यँखी' पहनते थे, जो पूरे भारीर को ढक लेती थी। प्रौढ़ तथा वृद्ध महिलायें काला कंबल पहनती थीं, जिसे 'गाती' कहा जाता था। अब इन वस्त्रों का चलन प्रायः समाप्त हो गया है। जनजातीय विज्ञान संस्कृति का पोषण करने पर भी इस समुदाय को जनजातीय मान्यता प्राप्त नहीं है।

सन्दर्भ सूची:—

- 1) मैठाणी प्रो० डी०डी० व अन्य (2010) – उत्तराखण्ड का भूगोल, भारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
- 2) बलूनी दिनेश चन्द्र – उत्तरांचल संस्कृति लोकजीवन इतिहास एवं पुरातत्व प्रकाशक बुक डेपो, बरेली, 2006
- 3) भारत सरकार जनगणना 2011 एवं सांख्यिकी ।
- 4) उत्तरांचल ईयर बुक, 2006 , बिनसर पब्लिकेशन,
- 5) वैश्रणव यमुना दत्त – कुमाऊँ का इतिहास मार्डन बुक डेपो, दमाल, नैनीताल 1911
- 6) पाण्डे बट्टीदत्त – कुमाऊँ का इतिहास, अल्मोड़ा, बुक डेपो, 1937

- 7) भाकुनी हीरा – संग्रामियों के सरताज बद्रीदत्त पाण्डे, 1989
- 8) सिंह अयोध्या – भारत का मुक्ति संग्राम 1997।
- 9) पाण्डे त्रिलोचन – कुमाँउनी लोक साहित्य।
- 10) भट्ट एस0डी0 – उत्तरांचल गजेटियर।
- 11) वाल्टन – अल्मोड़ा गजेटियर।
- 12) डबराल प्रिाव प्रसाद– उत्तराखंड का इतिहास भाग-10 , कुमाऊँ का इतिहास
(1000–1790)
- 13) कायस्थ देवीदास – इतिहास कुमाऊँ प्रदे ।।
- 14) ओकले, गेरोला (1935) – हिमालयन फोकलेर , इलाहाबाद।
- 15) पंडित राम दत्त तिवाड़ी – कत्यूर का इतिहास।
- 16) उनियाल हेमा – मानसखण्ड कुमाऊँ इतिहास, धर्म संस्कृत, वस्तुिा ल्य एवं पर्यटन,
उत्तरा बुक डेपो– 2014
- 17) नैथानी प्रिाव प्रसाद – उत्तराखंड के तीर्थ एवं मंदिर “पार्वती प्रकाान” श्रीनगर
गढ़वाल।
- 18) स्थानीय साक्षात्कार :- लीला देवी पत्नी स्व0 जयदत्त तिवाड़ी उम्र-84 वर्ष
- 19) बच्ची राम तिवाड़ी उम्र-91
- 20) पार्वती देवी काण्डपाल , पत्नी स्व0 केाव दत्त काण्डपाल उम्र- 87 वर्ष
- 21) तारा देवी पत्नी स्व0 पुरुशोत्तम चंदोला उम्र- 86 वर्ष
- 22) मर्तोलिया योोदा देवी उम्र- 93 वर्ष
- 23) दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय पत्रिकायें एवं वेबसाइट।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally I have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and the entire content is genuinely mine. If any issue arise related to Plagiarism / Guide Name / Educational Qualification / Designation/Address of my university/college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission / Submission /Copyright / Patent/ Submission for any higher degree or Job/ Primary Data/ Secondary Data Issues, I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the data base due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Aadhar/Driving License/Any Identity Proof and Address Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper may be rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper may be removed from the website or the watermark of remark/actuality may be mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

डॉ० उमा काण्डपाल
डॉ० नीरज रुवाली
